Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 4, July-2022, ISSN 2230-7540

DOI: https://doi.org/10.29070/rxkt6905

Check for updates

उच्च शिक्षा संस्थानों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक प्रोफाइल की समीक्षा

अभिषेक राणा [1] * , **डॉ. विनीता त्यागी** [2]

1. रिसर्च स्कॉलर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, म.प्र., भारत
kyoqish221@gmail.com ,
2. प्रोफेसर, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, म.प्र., भारत

सारांश: इस अध्ययन का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षिक पृष्ठभूमि के बारे में उनके प्रोफाइल का पता लगाना था। सर्वेक्षण में शिक्षकों की मासिक आय, पारिवारिक पृष्ठभूमि और शैक्षणिक योग्यता सहित उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित प्रश्न शामिल थे। इन संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को समझने के लिए शिक्षा संस्थान एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो आधुनिक, उदार हो , और बदलते समाज की बदलती जरूरतों के अनुकूल हो सकता है। यह विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय नियामक निकायों और सरकार द्वारा स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों की कार्य स्थितियों की सुरक्षा और वृद्धि के प्रभावी उपायों से संभव होना चाहिए।

मुख्य शब्द: उच्च शिक्षा संस्थान, स्व-वित्तपोषित, शिक्षक, सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक

---------- X ----------

परिचय

उच्च शिक्षा में किए गए बड़े निवेश के बावजूद, एक ओर बढ़ती लागत और प्रणाली की बढ़ती जरूरतों के साथ, और दूसरी ओर संसाधनों में गिरावट के साथ, भारत में उच्च शिक्षा एक गंभीर वित्तीय संकट में बनी हुई है। इसलिए वित्तीय संकट से निपटने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों को वित्त पोषण के कुछ वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी। ये आवश्यक रूप से सार्वजनिक स्रोत नहीं हैं बल्कि इन संस्थानों को गैर-सरकारी स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने होते हैं। यह उम्मीद की जाती है कि उच्च शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन उसी के बढ़ते निजीकरण के साथ घटेगा।[1]

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव हुए हैं जो इसके विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। 2000 का दशक उच्च शिक्षा के विस्तार, निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रियाओं से जुड़ा रहा है। भारत में हाल के दशकों में उच्च शिक्षा का निजीकरण कई रूपों में सामने आया है। इसमें स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रम शुरू करने, सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थानों को निजी स्व-वित्तपोषित संस्थानों में परिवर्तित करने और स्व-वित्तपोषित निजी संस्थानों के विस्तार के रूप में सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों के भीतर निजीकरण शामिल है। इस प्रकार, निजी-सहायता प्राप्त संस्थानों और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में गैर-सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों की वृद्धि को उच्च शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए।

सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों के बीच प्रमुख अंतर निधियों का है। जबकि सहायता प्राप्त कॉलेजों को सरकार द्वारा समर्थित किया जाता है, गैर-सहायता प्राप्त कॉलेजों को अपना धन जुटाना पड़ता है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में केवल सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम ही होने की आवश्यकता नहीं है। कई सहायता प्राप्त कॉलेजों में कई गैर-सहायता प्राप्त पाठ्यक्रम होते हैं जिन्हें स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है।[2]

एक शिक्षक जो अपनी नौकरी से संतुष्ट है, कर्तव्यों को बहुत कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर सकता है और शिक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। लेकिन अगर शिक्षक तनाव में है तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता है और नौकरी के प्रति नकारात्मक रवैया रखता है। स्व-वित्तपोषण पाठ्यक्रमों में नियुक्त शिक्षक कई लाभों से वंचित हैं जो एक स्थायी/नियमित शिक्षक को प्रदान किए जाते हैं। स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में शिक्षकों को न केवल काफी कम वेतन मिल रहा है, बल्कि नौकरी,

कार्यभार, पदोन्नति, अन्य लाभों, समाज में स्थिति, भूमिका संघर्ष, उत्पीड़न आदि की असुरक्षा के अन्य आधारों पर भी भुगतना पड़ रहा है। शिक्षकों के पक्ष में हैं तो वे संतुष्ट हैं अन्यथा वे नौकरी के तनाव में हैं। एक शिक्षक के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण चरों में से एक काम करने की स्थिति है।[3]

भारत में उच्च शिक्षा का विकास

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत में उच्च शिक्षा देश के समग्र विकास सामाजिक -, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। विश्वविद्यालय और कॉलेज देश के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को आकार देने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका-किया जाता है, अर्थात् शैक्षणिक संस्थानों की संख्या विश्वविद्यालय और कॉलेज -, शिक्षकों की संख्या और छात्रों की संख्या। आजादी के बाद से, भारत में उच्च शिक्षा की संस्थागत क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उच्च शिक्षा संस्थानों के नेटवर्क के आकार के मामले में आज भारत का स्थान काफी ऊंचा है। विश्वविद्यालय स्तर के संस्थानों में 316 राज्य विश्वविद्यालय, 179 राज्य निजी विश्वविद्यालय, 43 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 127 डीम्ड विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के 69 संस्थान, विभिन्न राज्य विधानों के तहत स्थापित पांच संस्थान, एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय शामिल हैं इसके अलावा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा विज्ञान, प्रबंधन आदि में पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेजों और संस्थानों सहित तकनीकी शिक्षा का एक विशाल नेटवर्क है। यह इस व्यापक उच्च और तकनीकी शिक्षा प्रणाली और उस प्रणाली से स्नातक होने वाले मानव संसाधन के कारण है जो भारत है। वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के सबसे बड़े उत्पादकों में माना जाता है। उच्च शिक्षा केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझा जिम्मेदारी है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में मानकों का समन्वय और निर्धारण यूजीसी और अन्य वैधानिक नियामक निकायों को सौंपा गया है।[4]

उच्च शिक्षा में शिक्षा नीतियों की समीक्षा

शैक्षिक विकास के विभिन्न मापदंडों को उचित दिशा देने के लिए सरकार द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीतियां बनाई जाती हैं। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में शिक्षा को देश के विकास कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक माना गया था। इसने सभी स्तरों पर शिक्षा परिदृश्य का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों की स्थापना की। परिणामस्वरूप, देश ने दो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां विकसित कीं - पहले 'शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968' और बाद में 'शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986'। एनपीई 1968 कोठारी आयोग (1964-65) की रिपोर्ट पर आधारित था और 10+2+3 मॉडल पर केंद्रित था, अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने और शैक्षिक अवसरों को समान बनाने के लिए। एनपीई 1986 ने 1968 की नीति की कई प्रमुख सिफारिशों को जारी रखा जो गुणवत्ता संबंधी चिंताओं पर केंद्रित थी। तीन साल बाद, नई केंद्र सरकार ने 1986 की नीति का आकलन करने के लिए एक समिति नियुक्त की। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आचार्य राममूर्ति रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की। इस रिपोर्ट के आधार पर 1986 की नीति में संशोधन किया गया।[5]

उच्च शिक्षा और पंचवर्षीय योजनाएँ

पिछली चार पंचवर्षीय योजनाओं से पता चलता है कि बुनियादी ढांचे के विकास, कई कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार, सामग्री और मूल्यांकन में सुधार शुरू करने और अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान के उत्पादन को प्रोत्साहित करके उच्च शिक्षा का समर्थन करने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर था। छठी योजना ने समेकन और गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया। सातवीं योजना का जोर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास पर था। इस योजना ने उत्कृष्टता केंद्रों और अध्ययन कार्यक्रमों के क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। आठवीं योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में अंतर वित्त पोषण की आवश्यकता थी। इस योजना के अन्तर्गत विभागों के विकास को महत्व दिया गया। उन्हें शिक्षण और अनुसंधान से संबंधित उनकी गतिविधियों के विकास के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाएगा। नौवीं योजना ने उच्च शिक्षा प्रणाली की व्यवहार्यता पर ध्यान केंद्रित किया। यह प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है।[6]

दसवीं योजना का मुख्य फोकस उच्च शिक्षा, अनुसंधान और विकास, प्रबंधन, वित्त पोषण और नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने उच्च शिक्षा की दोहरी समस्या जैसे नामांकन दर और क्षेत्रीय असंतुलन को मान्यता दी। यह योजना भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन को प्रभावित करने की केंद्र सरकार की इच्छा को दर्शाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना को ज्ञान निवेश योजना बताया है। "उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार" शीर्षक वाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट ने उच्च शिक्षा में प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सुधारों का भी सुझाव दिया है। इस योजना के तहत प्रमुख पहलों में स्वायत्त महाविद्यालयों का उन्नयन, उच्च शिक्षा का समावेशी और गुणात्मक विस्तार, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की स्थापना, एकीकृत कार्यक्रमों के रूप में विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्यक्रमों की शुरुआत, उच्च के मौजूदा संस्थानों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि शामिल है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी, आदि।[7]

उल्लेखनीय पहलें

उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर पर बड़े स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम बढ़ रहे हैं। पहला नए उभरते व्यवसायों में प्रशिक्षित कर्मियों के लिए बाजार की मांग को पूरा करना और दूसरा धन के पारंपरिक स्रोतों के पूरक के लिए अतिरिक्त आंतरिक संसाधन उत्पन्न करना। सरकारों और बंदोबस्तों से उच्च शिक्षा के लिए घटते समर्थन ने भी संस्थानों को अपनी वित्तीय जरूरतों के हिस्से के लिए स्वावलंबी मार्ग की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। संयोग से, कुछ पाठ्यक्रम इन संस्थानों को उद्योगों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं ताकि संस्थानों को पूरी तरह से स्व-वित्तपोषित में बदल सकें। भारत में स्व-वित्तपोषित संस्थानों की वर्तमान पहलों पर यहाँ संक्षेप में चर्चा की गई है। प्रमुख विधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:[8]

i. स्व-वित्तपोषित संस्थान

यहां दृष्टिकोण यह है कि जो छात्र अपनी शिक्षा के लिए भुगतान करने को तैयार हैं, उन्हें अपनी पसंद की शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन इस विधा का एक उदाहरण है, जो निजी उद्यमों द्वारा प्रबंधित और वित्त पोषित उच्च शिक्षा में स्व-वित्तपोषण का एक अग्रणी केंद्र रहा है।

ii. सहायता प्राप्त संस्थानों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

केंद्र और राज्य सरकारों से पहले से ही अनुदान प्राप्त करने वाले और विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों को भी स्व-वित्तपोषण पैटर्न पर स्नातक और या स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति है। यह वित्तीय बोझ को कम करता है और उन छात्रों को अवसर प्रदान करता है जो उच्च शुल्क का भुगतान करके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। ये बाजार की मांग के विचारों द्वारा स्थापित किए गए हैं। शिक्षण शुल्क यूजीसी द्वारा तय किया जाता है और संबद्ध विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं।[9]

iii. सहयोग

यह मॉडल कॉर्पोरेट क्षेत्र में लोकप्रिय है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रबंधकीय और कार्यकारी कर्मियों को अपने ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, उन्हें प्रशिक्षण की छोटी अवधि के लिए देश के प्रमुख और प्रतिष्ठित संस्थानों से जोड़ा जाता है, जो आमतौर पर प्रायोजक संगठनों द्वारा तय किया जाता है। कुछ आईआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें कॉर्पोरेट क्षेत्र की कई कंपनियां शामिल हैं। निर्माण प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्रौद्योगिकी आदि जैसे पाठ्यक्रम इसके कुछ उदाहरण हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना में भिन्नता रही है क्योंकि विभिन्न प्रायोजक एजेंसियों के साथ अलग-अलग नियम और शर्तें स्थापित की गई हैं। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य गुणवत्ता और देश के लिए अच्छे मानव संसाधन का विकास करना है। [10]

परिभाषाएँ और अवधारणाएँ

i. उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा के स्तर से परे का अध्ययन है। उच्च शिक्षा के संस्थानों में न केवल कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं बल्कि कानून, धर्मशास्त्र, चिकित्सा, व्यवसाय, संगीत और कला जैसे क्षेत्रों के पेशेवर स्कूल भी शामिल हैं। इनमें शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक कॉलेज और प्रौद्योगिकी संस्थान भी शामिल हैं। अध्ययन के एक निर्धारित पाठ्यक्रम के अंत में एक डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। मुकुल सैकिया के अनुसार, उच्च शिक्षा उच्च स्तर के पेशेवर तैयार कर सकती है; तकनीकी और प्रबंधकीय कार्मिक, और अनुसंधान के माध्यम से नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं और ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे मानव संसाधन का विकास होता है।[11]

उच्च शिक्षा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, प्रबंधन, संचार आदि में आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति की तेजी से परिष्कृत और हमेशा बदलती विविधता प्रदान करती है। यह शोधकर्ताओं का उत्पादन करती है, जो उनके माध्यम से गतिविधियाँ वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की सीमाओं को गहरा करती हैं और नवाचारों की ओर ले जाती हैं, जो आर्थिक विकास और विकास के इंजनों को सक्रिय करती हैं। कमलजीत सिंह (2010) की राय में, उच्च शिक्षा लोगों को मानवता के सामने आने वाले महत्वपूर्ण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षा विशेष ज्ञान और कौशल के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय विकास में योगदान करती है। इसलिए यह अस्तित्व के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।

ii. निजीकरण

निजीकरण को किसी व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी, या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व को सार्वजनिक क्षेत्र (सरकार) से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की घटना या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। निजीकरण आर्थिक सिद्धांत और राजनीति विज्ञान और राजनीतिक अभ्यास दोनों के रूप में विचारों और नीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। इसका मुख्य रूप से दो अर्थ है- एक, गतिविधियों और कार्यों का राज्य से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण, और दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के मामले में सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में बदलाव।

निजीकरण गतिविधियों, संपत्तियों और जिम्मेदारियों को सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने को संदर्भित करता है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी की एक विस्तृत श्रृंखला, संघीय निगमों का निर्माण, अर्ध-सरकारी संगठन और सरकार द्वारा प्रायोजित गतिविधियाँ शामिल हैं। निजीकरण को अक्सर उदारीकरण के रूप में माना जाता है - जहां एजेंटों को सरकारी नियमों या बाजारीकरण से मुक्त किया जाता है - जहां सरकारी सेवाओं या राज्य आवंटन प्रणाली के विकल्प के रूप में नए बाजार बनाए जाते हैं।

iii. सहायता प्राप्त संस्था

सहायता प्राप्त संस्थान का अर्थ एक निजी शैक्षणिक संस्थान है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से सहायता अनुदान या वित्तीय सहायता का वितरण करते हुए पूर्ण या आंशिक रूप से वित्तीय सहायता या सहायता प्राप्त करता है और इसमें एक अल्पसंख्यक संस्थान शामिल होगा।[12]

iv. स्ववित्तपोषित संस्थान

एक स्व-वित्तपोषित संस्थान का तात्पर्य उन संस्थानों से है जो व्यावसायीकरण के स्पष्ट उद्देश्य के बिना निजी निधियों और निजी प्रबंधन द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं।

भारत में एक स्व-वित्तपोषित कॉलेज को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। उन्हें यूजीसी से कोई वित्तीय अनुदान भी नहीं मिलता है और न ही उन्हें यूजीसी से कोई लाभ मिलता है। ऐसा संस्थान उन छात्रों द्वारा भुगतान की गई फीस के माध्यम से खुद को वित्तपोषित करता है जो पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन करते हैं और अन्य स्रोतों से निजी वित्तपोषण प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट हाउस।

v. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रम

उपयोगकर्ता शुल्क वसूल कर वित्तपोषित होते हैं। ऐसे स्व-वित्तपोषण कार्यक्रमों के लिए लगभग कोई सरकारी सब्सिडी नहीं है। स्व-वित्तपोषण कार्यक्रमों की प्रकृति उस संस्थागत मोड पर निर्भर करती है जिसके तहत इसे वितरित किया जाता है।

स्व-वित्तपोषित संस्थानों और सहायता प्राप्त संस्थानों में स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इन संस्थानों में शिक्षकों की काफी हद तक अनदेखी की गई है। इन शिक्षकों की कोई सुरक्षा नहीं है। वर्तमान अध्ययन का फोकस स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों में लगे शिक्षकों की दशाओं पर है।[13]

निष्कर्ष

मानव पूंजी के निर्माण में शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से एक महत्वपूर्ण निवेश के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह तकनीकी नवाचार और आर्थिक विकास की कुंजी है। मानव विकास ही समाज की उन्नति और उन्नति का वास्तविक सूचक है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिशील अर्थव्यवस्था है जो विकास के लिए जबरदस्त क्षमता दिखा रही है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण आर्थिक नीतियों के लिए प्रमुख रणनीतिक आदेश हैं। निजीकरण ने बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन आदि जैसे क्षेत्रों के विकास में शानदार परिणाम दिखाए हैं। 1990 के बाद से सरकार ने भारत में बड़े पैमाने पर उच्च शिक्षा के निजीकरण को आमंत्रित करना और प्रोत्साहित करना शुरू किया। परिणामस्वरूप स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उच्च शिक्षा शुरू में व्यावसायिक और बाद में पूरे देश में सभी क्षेत्रों में फैलती देखी गई। उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ने के साथ-साथ उच्च योग्य लोगों के लिए कॉलेज अस्थायी नौकरियों का आसान विकल्प बन गए।

संदर्भ

1. अब्राहम, जी। (2015)। भूमिका संघर्ष और लैंगिक भूमिकाओं की धारणा: इज़राइल का मामला। जर्नल ऑफ सेक्स-रोल, 32(3), 251-270।
2. एंटोनुची, टी.सी., लैंसफोर्ड, जे.ई. और अकियामा, एच.ए. (2018)। वृद्ध वयस्कों की भलाई पर वैवाहिक संबंधों और दोस्ती के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का प्रभाव। एप्लाइड डेवलपमेंट साइंस, 5(2), 68-75।
3. अकिंतायो, डी.आई. (2018)। नाइजीरिया में औद्योगिक श्रमिकों के बीच कार्य-परिवार भूमिका संघर्ष और संगठनात्मक प्रतिबद्धता। मनोविज्ञान और परामर्श पत्रिका, 2(1), 1-8।
4. शमूएल, बी., पीटर, बी. और स्टीफन, एम. (2020)। कार्य डिजाइन, भूमिका संघर्ष और भूमिका अस्पष्टता: प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का मामला। शैक्षिक मूल्यांकन और नीति विश्लेषण, 12(4), 415-432।
5. अमिनाह, ए. (2016). विवाहित कामकाजी महिलाओं की भूमिका संघर्ष और मुकाबला व्यवहार। पर्टनिका जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, 3(2), 97-104।
6. बख्शी, ए., कुमार, के., शर्मा, एस. और शर्मा, ए. (2016)। जीवन संतुष्टि के भविष्यवक्ता के रूप में कार्य संतुष्टि; जम्मू में सरकारी और निजी कॉलेजों में व्याख्याताओं पर एक अध्ययन। मनो-सांस्कृतिक आयामों के प्राची जर्नल में लेख, सार 24(2), 174-181।
7. अरेमु, ए.ओ., पाक्स, एफ. और जॉनसन, एल. (2019)। नाइजीरियाई पुलिस में भ्रष्टाचार को कम करने में नियंत्रण रेखा का प्रभाव। जर्नल ऑफ़ पोलिसिंग: एन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पुलिस स्ट्रैटेजीज़ एंड मैनेजमेंट, 32(1), 144-156।
8. बाला, एम. और कुमार, आर. (2020)। बी.ए. के नियंत्रण के लोकस का तुलनात्मक अध्ययन। और बी.एड. हरियाणा में छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के संबंध में। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, 8(1), 78-89।
9. डायनर, ई., गोहम, सी.एल., सुह, ई. और ओशी, एस. (2017)। संस्कृतियों में वैवाहिक स्थिति और व्यक्तिपरक कल्याण के बीच संबंधों की समानता। जर्नल ऑफ क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी, 31(4), 419-436।
10. भारती, पी.एस., उमासेल्वी, एम. और कुमार, एन.एस. (2017)। कार्य जीवन की गुणवत्ता: कॉलेज के शिक्षकों की धारणा। इंडियन जर्नल ऑफ

कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, 2(2), 47-65।

11. धाइफल्लाह, ओए (2015)। भूमिका संघर्ष और नौकरी से संतुष्टि: सऊदी अरब के विश्वविद्यालयों पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 60, 24-34।

12. डायनर, ई।, एम्मन्स आरए, लार्सन आर.जे. और ग्रिफिन, एस। (2015)। जीवन से संतुष्टि का मापक। व्यक्तित्व आकलन का जर्नल, 49, 71-75।

13. दोराही, एम.जे., लुईस, सी.ए., शूमेकर, जे.एफ., अकुआमोह-बोटेंग, आर., ड्यूज़, एम.सी. और सिबिया, टी.ई. (2018)। धर्म और जीवन संतुष्टि का एक क्रॉस-सांस्कृतिक विश्लेषण। मानसिक स्वास्थ्य, धर्म, संस्कृति, 1(1), 37-43।